04/6/26

पत्रावली पामेशी लिपिक पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.।
प्रा.पत्र प्रार्थी व प्रा.पत्र अप्रार्थी-02 स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया
गया। तरतीब वारी हो रिकार्ड से जुड़ हो।

निर्णय सुनाया गया।

B

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/304

बाबुलाल बनाम स्टेट आदि

किस्म मुकदमा– 251 क राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

प्रकरण स0 123/24

GCMS-2024/304

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2026	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से वाके रोही कस्बा सूरतगढ की जमाबन्दी सवंत 2068 ता 71 के खाता स0 60/55 के खसरा न0 517/213 मे 2.530 है0 (नक्शा खसरा स0 213/16) बारानी भुमि मे 1/2 हिस्सा भुमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी रोही कस्बा सूरतगढ की जमाबन्दी सवंत 2068 ता 71 के खाता स0 1 के खसरा न0 213/16 मे 2.5300 है0 बारानी आराजी राज भुमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी का रकबा आराजीराज भुमि के चिपता हुआ रकबा है। प्रार्थी अर्सा दराज से अपने खेत मे आने जाने के लिए आराजी भुमि खसरा न0 213/16 के दक्षिणी दिशा मे पश्चिम से पूर्व खसरा न0 213/14 के चिपते हुये रास्ते का उपयेाग कर अपने खातेदारी रकबे मे प्रवेश करता है। प्रार्थी इस चालु रास्ते को मजूंर करवाना चाहता है। प्रार्थी को इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। अगर यह रास्ता मजूंर हो जाता है तो अपने खातेदारी रकबे मे आने जाने की समस्या खत्म हो जायेगी। प्रार्थी इस रास्ते की भुमि के बदले डी0एल0सी दर की दुगुनी राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रकरण मे तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी स0 2 की ओर से श्री अमरजीत सिंह संधू एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। अप्रार्थी न0 2 ने प्रार्थना पत्र दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 के पिता आपस मे सगे भाई है। जैर प्रकरण भुमि जिसके लिए रास्ता चाहा है को घरेलु बंटवारा अनुसार काश्त कर रहे है। अप्रार्थी सं0 2 को घरेलु बंटवारा अनुसार मिली भुमि मे आने जाने हेतु रास्ता नही है। इसलिए अप्रार्थी स0 2 को प्रकरण मे पक्षकार बनाया जावे तथा घरेलु बंटवारे अनुसार मिली भुमि मे प्रार्थी की भुमि से रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी स0 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये पक्षकार बनाया गया। तहसीलदार सूरतगढ की मौका रिपोर्ट ने प्रस्तावित रास्ते की अत्यातिंक आवश्यकता व अन्य कोई वैक्लपिक रास्ता उक्त रकबा हेतु नही है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी के खातेदारी रकबा हेतु कोई वैक्लपिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यातिंक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

04.06.2026

समीपस्थ प्रस्तावित रास्ता है। कानुन की मंशा के अनुसार सबसे समीपस्थ रास्ता ही स्वीकृत जाना चाहिये। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 के खसरा न0 213/16 आराजीराज पर रास्ता डी0एल0सी की दुगुनी दर पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके रोही कस्बा सूरतगढ के खाता स0 1 के खसरा न0 213/16 के दक्षिणी दिशा मे पश्चिम से पूर्व 16.5 फुट चोडाई मे व 395 फुट लम्बाई (0.060 है0 भुमि) मे डी0एल0सी दर की वर्तमान दर की दुगुनी दर पर स्वीकृत कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार अप्रार्थी स0 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बाबुलाल के खातेदारी रकबा के कब्जाकाश्त की भुमि खसरा न0 517/213 (नक्शा खसरा 213/16) कस्बा सूरतगढ के दक्षिणी दिशा मे पश्चिम से पूर्व 16.5 फुट चौडाई मे व 200 फुट लम्बाई (0.030 है0 भुमि) मे खसरा न0 213/14 के चिपते हुये रास्ता स्वीकृत करते हुये गैर मु0 रास्ता के रूप मे दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी बाबुलाल की भुमि मे स्वीकृत रास्ते के बदले 0.015 है0 भुमि अप्रार्थी स0 2 के पिता लालचन्द की भुमि से कम कर इतनी ही भुमि यानि 0.015 है0 (आपसी सहमति अनुसार) प्रार्थी बाबुलाल के हिस्से मे जोडी जावे। मौका पर अगर रास्ता बंद हो तो उसे खुलवाने की कार्यवाही करे। तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिंनाक 04.06.2026 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़